

एफएमआर - 1

बैंकों में वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्ट

(अनुच्छेद 3 के अनुसार)

भाग क : धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट

1 बैंक का नाम	<input type="text"/>
2 धोखाधड़ी संख्या ¹	<input type="text"/>
3 शाखा का ब्यौरा ² -	
(क) शाखा का नाम	<input type="text"/>
(ख) शाखा का प्रकार	<input type="text"/>
(ग) स्थान	<input type="text"/>
(घ) ज़िला	<input type="text"/>
(ङ) राज्य	<input type="text"/>
4 मुख्य पार्टी / खाते का नाम ³	<input type="text"/>
5 (क) वह परिचालन क्षेत्र जिसमें धोखाधड़ी हुई है ⁴	<input type="text"/>
(ख) क्या धोखाधड़ी उधार खाते में हुई	<input type="text" value="हां / नहीं"/>
6 धोखाधड़ी का स्वरूप ⁵	<input type="text"/>
7 धोखाधड़ी की कुल राशि ⁶ (लाख रुपयों में)	<input type="text"/>
8 (क) धोखाधड़ी होने की तारीख ⁷	<input type="text"/>
(ख) पता लगने की तारीख ⁸	<input type="text"/>

- (ग) धोखाधड़ीका पता लगने में हुए विलंब ,
यदि कोई हो, के कारण
- (घ) भारिबैं को सूचित करने की तारीख ⁹
- (ङ) भारिबैं को धोखाधड़ी की सूचना देने में हुई देरी, यदि
कोई हो, के कारण
- 9 (क) संक्षिप्त इतिहास
- (ख) कार्यप्रणाली (सटीक एवं स्पष्ट विवरण दें)
- 10 यह धोखाधड़ी निम्नलिखित में से किसने की -
- (क) स्टाफ
- (ख) ग्राहक
- (ग) बाहर के लोग
- 11 (क) क्या नियंत्रक कार्यालय (क्षेत्रीय / आंचलिक) शाखा
द्वारा प्रस्तुत नियंत्रक विवरणियों की संवीक्षा से
धोखाधड़ी का पता लगा सका ?
- (ख) क्या सूचना प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ?
- 12 (क) क्या शाखा (शाखाओं) में पहली बार यह धोखाधड़ी होने
की तारीख और उसका पता चलने के बीच की अवधि
के दौरान आंतरिक निरीक्षण/ लेखा-परीक्षा (समवर्ती
लेखा-परीक्षा सहित) की गई थी ।
- (ख) यदि हां, तो ऐसे निरीक्षण/ लेखा-परीक्षा के दौरान
धोखाधड़ी का पता क्यों नहीं चला ?
- (ग) ऐसे निरीक्षण/ लेखा-परीक्षा में धोखाधड़ी का पता न

लगा सकने पर क्या कार्रवाई की गई ?

13 की गई/ प्रस्तावित कार्रवाई -

(क) पुलिस/ जाँच एजेंसी में शिकायत -

(i) क्या पुलिस/ जाँच एजेंसी के पास कोई शिकायत दर्ज कराई गई है?

(ii) यदि हां, तो पुलिस कार्यालय/ जाँच शाखा का नाम -

(1) मामला सूचित करने की तारीख

(2) मामले की वर्तमान स्थिति

(3) जांच पूरी होने की तारीख

(4)(i) पुलिस/ जांच द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख

(ii) यदि पुलिस/ जांच एजेंसी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तो उसके कारण

(ख) ऋण वसूली प्राधिकरण/ न्यायालय में वसूली संबंधी वाद -

(i) वाद दायर करने की तारीख

(ii) वर्तमान स्थिति

(ग) बीमा संबंधी दावा -

(i) क्या किसी बीमा कंपनी में कोई दावा दाखिल किया गया है

(ii) यदि नहीं, तो उसके कारण

(घ) स्टाफ संबंधी कार्रवाई का ब्यौरा -

(i) क्या कोई आंतरिक अन्वेषण किया गया है / प्रस्तावित है ?

(ii) यदि हां, जांच पूरी होने की तारीख

(iii) क्या कोई विभागीय जांच की गई है / प्रस्तावित है ?

(iv) यदि हां, तो नीचे दिए गए फॉर्मेट के अनुसार ब्यौरा दें :

(v) यदि नहीं, तो उसके कारण

(ड) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उठाये गए / प्रस्तावित कदम

14 (क) वसूल की गई कुल राशि -

(i) संबंधित पार्टी / पार्टियों से वसूल की गई राशि

(ii) बीमा से

(iii) अन्य स्रोतों से

(ख) बैंक को हुए नुकसान की मात्रा

(ग) रखा गया प्रावधान

(घ) बट्टे खाते लिखी गई राशि

15 भारिबैं के विचारार्थ सुझाव

* बैंकों को शाखा की लेखापरीक्षा जो संगामी लेखापरीक्षा, आंतरिक निरीक्षण आदि के अधीन है, का स्पष्ट उल्लेख करना है।

भाग ख : उधार खातों में धोखाधड़ी संबंधी अतिरिक्त जानकारी

(इस भाग को सभी उधार खातों में हुई धोखाधड़ियों के संबंध में भरा जाए)

1. (क) पार्टी का व्यापार पता जिसके खाते में धोखाधड़ी हुई है।

--

- (ख) स्वामी/ भागीदार/ निदेशक का नाम एवं पता

सं.	स्वामी/ भागीदार/ निदेशक का नाम	पता

2. खाते/ तों का/ के ब्यौरा/ रे

सं.	खाते का स्वरूप	मंजूरी की तारीख	स्वीकृत सीमा	बकाया शेष

3. सहायक संस्था की जानकारी

सं	सहायक संस्था का नाम एवं पता	स्वामी/भागीदार/ निदेशक का नाम	स्वामी/भागीदार/ निदेशक का पता

धोखाधड़ी रिपोर्ट (एफएमआर-1) संकलित करने के अनुदेश :

- 1 धोखाधड़ी संख्या : इसे कंप्यूटरीकरण और प्रति संदर्भ संबंधी सुविधा प्रदान करने को मद्देनजर रखते हुए प्रारंभ किया गया है। संख्या अल्फान्यूमेरिक फील्ड होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : चार अक्षर (बैंक का नाम दर्शाने के लिए), वर्ष के लिए दो अंक (02, 03 आदि), तिमाही के लिए दो अंक (जनवरी-मार्च तिमाही आदि के लिए 01,) और अंतिम चार अंक, तिमाही में सूचित की गई धोखाधड़ी के लिए विशिष्ट कूटांक होंगे ।
- 2 शाखा का नाम : यदि धोखाधड़ी एक से अधिक शाखा से संबंधित हो तो केवल किसी एक ऐसी शाखा का नाम दर्शाएं जहां पर धोखाधड़ियों में शामिल राशि सबसे अधिक हो और/ अथवा जो मुख्यतः धोखाधड़ी के संबंध में मुख्य रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हो । अन्य शाखाओं के नाम मद सं.9 के सामने संक्षिप्त इतिहास/ कार्यप्रणाली में दर्शाए जाएं।
- 3 पार्टी का नाम : धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए सुस्पष्ट नाम दिया जाए। उधार खातों में होने वाली धोखाधड़ियों के मामले में, उधारकर्ता का नाम दिया जाए। कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों के मामले में, धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए कर्मचारी/ कर्मचारियों का/ के नाम/ नामों को प्रयोग में लाया जा सकता है। जहां धोखाधड़ी हो गई है, जैसे कि समाशोधन खाते/ अंतर-शाखा में, और धोखाधड़ी में शामिल किसी कर्मचारी विशेष को तत्समय पहचान पाना संभव न हो तो उसे केवल "समाशोधन/ अंतर-शाखा खाते में धोखाधड़ी " के रूप में ही मान लिया जाए।
- 4 वह परिचालन क्षेत्र जहां धोखाधड़ी हुई है : विवरण एफएमआर-2 (भाग क) के कॉलम 1 में दिए गए संबद्ध क्षेत्र दर्शाएं यथा [नकदी; जमा (बचत/ चालू/ मीयादी) ; अनिवासी खाते; अग्रिम (नकद ऋण / मीयादी ऋण / बिल / अन्य); विदेशी मुद्रा लेन-देन; अंतर-शाखा खाते; चेक/ मांग ड्राफ्ट, आदि; समाशोधन, आदि, खाते; तुलन-पत्र से इतर (साख पत्र/ गारंटी/ सह-स्वीकृति, अन्य ऋण); अन्य)
- 5 धोखाधड़ी का स्वरूप : निम्नलिखित में से उस संबद्ध श्रेणी की संख्या चुनें जो धोखाधड़ी के स्वरूप का उत्तम वर्णन करती हो : (1) दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग, (2) जाली लिखतों, लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिए कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन, (3) पुरस्कार स्वरूप अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गई अनधिकृत ऋण सुविधाएं । (4) लापरवाही और नकदी में कमी (5) छल और जालसाजी (6) विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों में अनियमितताएं (7) अन्य ।
- 6 धोखाधड़ी की कुल राशि : सभी स्थानों पर राशि को दशमलव में दो अंकों तक लाख रुपए में दर्शाया जाए।
- 7 धोखाधड़ी होने की तारीख : यदि धोखाधड़ी होने की सही तारीख को बता पाना कठिन हो (उदाहरण के रूप में, यदि चोरियां किसी अवधि के दौरान हुई हों, अथवा यदि उधारकर्ता का विशिष्ट व्यवहार, जो बाद में गलत पाया

गया हो, की वास्तविक तारीख सुनिश्चित करना संभव न हो) तो कोई ऐसी नोशनल तारीख दर्शाई जाए जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई धोखाधड़ी की सबसे अधिक संभाव्य तारीख हो सकती हो (उदाहरणार्थ वर्ष 2002 में हुई किसी धोखाधड़ी के लिए 1 जनवरी, 2002)। विशिष्ट ब्यौरा, जैसे कि वह अवधि, जिसमें धोखाधड़ी की गई, इतिहास/ कार्यप्रणाली में दिया जाए ।

⁸ पता लगने की तारीख :यदि वास्तविक तारीख का पता न हो (जैसे कि निरीक्षण/ लेखा-परीक्षा के दौरान पाई गई धोखाधड़ी के मामले में अथवा धोखाधड़ी का ऐसा मामला जो रिजर्व बैंक के निर्देशों पर सूचित किया गया हो), तो ऐसी नोशनल तारीख दर्शाई जाए जिस दिन धोखाधड़ी होने का पता चला हो ।

⁹ भारिबैं को सूचित करने की तारीख : सूचित करने की तारीख एक समान रूप से वह तारीख होनी चाहिए जो फॉर्म एफएमआर-1 में भारिबैं को भेजी गई धोखाधड़ी की विस्तृत रिपोर्ट में दी गई हो न कि किसी फैंक्स अथवा अ.शा.पत्र की कोई ऐसी तारीख जो इस रिपोर्ट से पहले भेजा गया हो ।

* बैंकों को शाखा की लेखापरीक्षा जो संगामी लेखापरीक्षा, आंतरिक निरीक्षण आदि के अधीन है, का स्पष्ट उल्लेख करना है।